2009 का विधेयक सं. 17

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

<u>2009 का विधयेक सं. 17</u>

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2009

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम,1987 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2009 है।

(2) यह 4 जून, 2009 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम परिवर्तन.–(1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से ''स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर'' होगा।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबंध,लिखत या अन्य दस्तावेजों में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के प्रति किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उसके यथापरिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में पढ़ा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

3. संशोधन.–(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से संशोधित हो जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.– मूल अधिनियम को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम,1987 के रूप में प्रोद्‌धृत किया जायेगा।

5. निरसन और व्यावृत्तियां.– (1) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम के द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

धारा 1.–उप–धारा (1) में, अभिव्यक्ति ''राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.– खण्ड (प) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''(प) ''विश्वविद्यालय'' से स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अभिप्रेत है।''।

धारा 3.– उप–धारा (1) में, अभिव्यक्ति ''राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी केशवानन्द एक जाना माना नाम है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के प्रसार और सार्वभौमिकीकरण में समर्पित किया था। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम परिवर्तन करने और स्वामी की स्मृति में उसका नाम स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के रूप में रखने के लिए शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, राजनैतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

अतः राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम परिवर्तित करने के लिए बीकानेर के नागरिकों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों की दीर्घकाल से लंबित मांग को पूरा करने के लिए और स्वामी केशवानन्द की स्मृति जीवित रखने के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का नाम स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के रूप में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित था।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 4 जून, 2009 को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (नाम परिवर्तन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 9 जून, 2009 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

बाबू लाल नागर,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 है ।

(2) XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) से (न) XX XX XX XX

(प) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अभिप्रेत है।

3. विश्वविद्यालय का एक निगमित निकाय होगा.— (1) राजस्थान राज्य में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम से एक विश्वविद्यालय का गठन किया जायेगा।

(2) से (6) XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 में कतिपय संशोधन करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(बाबू लाल नागर, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 17 of 2009

THE RAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITY, BIKANER (CHANGE OF NAME) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

(Authorised English Translation)

<u>Bill No. 17 of 2009</u>

THE RAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITY, BIKANER (CHANGE OF NAME) BILL, 2009

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to change the name of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner and to make certain amendments in the Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Agriculture University, Bikaner (Change of Name) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 4th June, 2009.

2. Change of name of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner.–(1) The name of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner incorporated under the Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be "The Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner".

(2) Any reference to the Rajasthan Agriculture University, Bikaner in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.–(1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.–The principal Act may be cited as the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987.

5. Repeal and savings.–(1) The Rajasthan Agriculture University, Bikaner (Change of Name) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 2 of 2009) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

THE SCHEDULE
(See section 3)

Section 1.– In sub-section (1), for the expression "The Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act", the expression "The Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act" shall be substituted.

Section 2.– For clause (u), the following clause shall be substituted, namely :–

" (u) "University" means the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner.".

Section 3.– In sub-section (1), for the expression "The Rajasthan Agriculture University, Bikaner", the expression "The Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Swami Keshwanand is a well known name in the field of education. He devoted his entire life for the spread and universalization of education. Many representations of educationists, intellectuals, political leaders and social organizations were received to change the name of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner and to rename it as the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner in the memory of the Swami.

Therefore to meet the long pending demand of the citizens of Bikaner, educationists and social organizations for changing the name of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner and to keep the memory of Swami Keshwanand alive it was proposed to change the name of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner to the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Agriculture University, Bikaner (Change of Name) Ordinance, 2009 (Ordinance No. 2 of 2009), on 4th June, 2009, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 9th June, 2009.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

बाबू लाल नागर,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITY, BIKANER, 1987

(Act No. 39 of 1987)

XX XX XX XX

1. Short title and commencement.–This Act may be called the Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987.

(2) XX XX XX XX

2. Definitions.–In this Act, unless the context otherwise require,–

(a) to (t) XX XX XX XX

(u) "University" means the Rajasthan Agriculture University, Bikaner constituted under this Act.

3. University to be a body corporate.–(1) There shall be constituted in the State of Rajasthan a University by the name of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner.

(2) to (6) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to change the name of the Rajasthan Agriculture University, Bikaner and to make certain amendment in the Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(BABULAL NAGAR, **Minister-Incharge**)